

:: न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ::

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

सत्र प्रकरण कमांक 402/2015

संस्थापन दिनांक 30.11.2015

मध्य प्रदेश शासन जरिये आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0

.....**अभियोगी**

॥ वि रु द्ध ॥

1. विजय जाटव पुत्र राजाराम जाटव, उम्र 21 वर्ष।
2. रामबीर जाटव पुत्र मेवाराम जाटव, उम्र 51 वर्ष।
3. कदमसिंह जाटव पुत्र भोगीराम जाटव, उम्र 46 वर्ष।
4. रवि जाटव पुत्र पन्नालाल जाटव, उम्र 20 वर्ष।
5. श्रीमती सरस्वती जाटव पत्नी पन्नालाल जाटव, उम्र 55 वर्ष।
6. गुड्डी जाटव पत्नी रामबीर जाटव, उम्र 41 वर्ष।
समस्त निवासीगण ग्राम रायतपुरा रेल्वे स्टेशन के पास, थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।
7. शिवकुमार जाटव पुत्र रामदयाल जाटव, उम्र 33 वर्ष।
निवासी ग्राम बरहद, थाना मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.,
हाल निवासी- सुभाष नगर नरोडा के पास
अहमदाबाद।

.....**आरोपीगण**

अभियोगी द्वारा - श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण द्वारा- श्री अखिलेश समाधिया, श्री एम.एस. यादव, श्री के0सी0 उपाध्याय, श्री रमेश परासार एवं श्री राजीव शुक्ला अधिवक्तागण।

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक 06-05-2017 को उद्घोषित किया गया)

टीपः

प्रकरण में आरोपीगण पर अभियोक्त्री के व्यपहरण, बलात्कार एवं लैंगिक हमला किये जाने का आरोप है, ऐसी स्थिति में निर्णय में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री "आर" लिखा जा रहा है।

01. आरोपिया सरस्वती, रवि, गुड्डी बाई, शिवकुमार, विजय पर दिनांक 21.03.2015 के करीब 7 बजे शाम या उसके करीब अभियोक्त्री जो कि 16 वर्ष की उम्र की थी को उसकी विधिपूर्ण संरक्षक उसके पिता की सम्मति के बिना ले जाने/बहलाकर ले जाने एवं उसका व्यपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने अथवा यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या विलुब्ध किया जाएगा उसका व्यपहरण किया। आरोपीगण सरस्वती, रवि व गुड्डी, द्वारा उक्त अभियोक्त्री 'आर' के साथ बलात्कार की घटना सहआरोपीगण रामबीर, विजय व शिवकुमार के द्वारा कारित करने में सहमत होने के संबंध में एवं उक्त अभियोक्त्री 'आर' के साथ सहआरोपीगण रामबीर, विजय व शिवकुमार को लैंगिक हमला एवं गुरुत्तर लैंगिक हमला कारित करने हेतु दुष्प्रेरित किया जिस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप आरोपीगण रामबीर, विजय व शिवकुमार के द्वारा अभियोक्त्री के साथ गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। आरोपीगण शिवकुमार व विजय पर उपरोक्त घटना दिनांक व उसके पश्चात् दिनांक 04.08.15 तक ग्वालियर व अहमदाबाद में अभियोक्त्री के साथ बार बार बलात्कार करने के संबंध में तथा आरोपी रामबीर पर जनवरी 2015 एवं कदमसिंह पर 10.12.14 को अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के संबंध में एवं प्रवेशन लैंगिक हमला एवं गुरुत्तर प्रवेश लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में आरोपिया सरस्वती, गुड्डीबाई व रवि, का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366क, 376(2)(आई) एवं धारा 17 पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत एवं आरोपी रामबीर, कदमसिंह पर भा.द.वि की धारा 376(2)(आई) एवं पॉस्को अधिनियम की धारा 3/4, 5/6 के अंतर्गत एवं आरोपी शिवकुमार व विजय पर भा.द.वि की धारा 363, 366क, 376(2)(आई) व 376(2)(एन) एवं पॉस्को अधिनियम की धारा 3/4, 4/5 के अंतर्गत आरोप हैं।

02. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 22.03.2015 को ग्राम रायतपुरा निवासी फरियादिया सुनीता पत्नी रामनिवास ने थाना आकर बताया कि दिनांक 21.03.15 को उसकी तबियत खराब थी और पडोसन गुड्डी देवी दो हजार रुपए मांग रही थी तब फरियादी की पुत्री अभियोक्त्री "एन" ने गुड्डी को पैसे दिए और उसके साथ बाहर चली गई। कुछ देर तक अभियोक्त्री नहीं आई तो फरियादिया ने अपने लडके धर्मवीर को गुड्डी से पूछने के लिए उसके पास भेजा तब

गुड्डी ने धर्मवीर से कहा कि उसे नहीं पता है अभियोक्त्री कहाँ है। उस समय ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी फरियादिया ने ट्रेन की तरफ देखा तो अभियोक्त्री तथा विजय ट्रेन के गेट में चढ़ रहे थे वह चिल्लाई तब तक ट्रेन छूट गई। अभियोक्त्री को उसके मोहल्ले का विजय जाटव शादी करने के इरादे से बहला फुसलकार ले गया, जिसमें गुड्डी का भी हाथ था। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना एण्डोरी में आरोपी विजय जाटव के विरुद्ध अप0क0 29/15 अंतर्गत धारा 363, 366 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया है।

03. विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, अभियोक्त्री "आर" की दस्तयावी दिनांक 04.08.2015 को की गई। अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं धारा 161 दं.प्र.सं. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अभिलिखित किए गए। तत्पश्चात् सी.डब्ल्यू.सी. भिण्ड के आदेशानुसार अभियोक्त्री को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। अभियोक्त्री के धारा 161 एवं 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में यह तथ्य आया कि घटना में रामबीर, गुड्डी, सरस्वती, रवि, शिवकुमार, विजय के द्वारा बहला फुसलकार आरोपी का सहयोग किया और आरोपी कदमसिंह, विजय, शिवकुमार के द्वारा बलात्कार करने के संबंध में एवं अन्य आरोपीगण के द्वारा इस संबंध में सहयोग करने के संबंध में कथन किया जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भा.द.वि एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का इजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विजय का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अस्पताल से प्राप्त आरोपी विजय एवं अभियोक्त्री "आर" कपड़ों के शीलबंद पैकेट एवं सीमन स्लाइड जप्त किए गए और उन्हें परीक्षण हेतु राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में स्कूल का प्रामाणीकरण एवं अन्य दस्तावेजों जप्ती की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

04. आरोपिया सरस्वती, गुड्डीबाई व रवि के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366क, 376(2)(आई) एवं धारा 17 पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत एवं आरोपी रामबीर, कदमसिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 376(2)(आई) एवं पॉस्को अधिनियम की धारा 3/4, 5/6 के

अंतर्गत एवं आरोपी शिवकुमार व विजय के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 363, 366क, 376(2)(आई) व 376(2)(एन) एवं पॉस्को अधिनियम की धारा 3/4, 4/5 का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी रामनिवास (अ0सा0 1), अभियोक्त्री- आर (अ.सा. 2), सुनीता (अ.सा. 3), डॉ0 रविन्द्र कुमार शर्मा (अ.सा. 4), धर्मवीर (अ.सा. 5), दलेल सिंह यादव (अ.सा. 6), डॉ0 विमलेश गौतम (अ.सा. 7), व्ही.एस. अनंत (अ.सा. 8), डिम्पल मौर्य (अ.सा. 9), एम.एल. डोंगर (अ0सा0 10), गीता बाई (अ0सा0 11), बाल्मीक चौबे (अ0सा0 12), डॉ0 आलोक शर्मा (अ0सा0 13) एवं भारत सिंह (अ0सा0 14) का परीक्षण कराया गया

05. आरोपीगण का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए गांव की पार्टीवंदी एवं होने के नाते एवं आरोपी रामबीर ने व्यक्त किया कि उसने फरियादी के पिता रामनिवास से जगह खरीदी थी जिसमें मकान बना लिया है, उक्त जगह का वयनामा न करने पडा इस कारण झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में बचाव साक्षी लक्ष्मी ब0सा0 1 का कथन आरोपी की ओर से कराया गया है।

06. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-

1.	क्या दिनांक 21.03.2015 को अभियोक्त्री 'आर' 18 वर्ष से कम आयु की थी?
2.	क्या दिनांक 21.03.2015 को आरोपिया सरस्वती, रवि, गुड्डी बाई, शिवकुमार व विजय ने अभियोक्त्री को उसके माता पिता की संरक्षकता से हटाकर व्यपहरण किया?
3.	क्या उक्त आरोपीगण ने अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण इस आशय से किया कि अवयस्क अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग के लिए वाध्य या विवश की जाएगी?
4.	क्या दिनांक 21.03.2015 को उक्त आरोपी सरस्वती, रवि, गुड्डीबाई ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित करने का आपराधिक षड्यंत्र निर्मित किया और उक्त आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्संग की घटना कारित की?

5.	क्या माह जनवरी 2015 में दिन के 12-01 बजे रायतपुरा स्टेशन में आरोपी रामबीर ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित किया?
6.	क्या आरोपी कदमसिंह ने दिनांक 10.12.2014 या उसके आसपास रायतपुरा स्टेशन के पास अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित किया?
7.	क्या आरोपी शिवकुमार ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ दिनांक 21.03.2015 एवं 04.08.2015 तक ग्वालियर व अहमदाबाद में बार बार बलात्संग कारित किया?
8.	क्या आरोपी विजय ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ दिनांक 21.03.2015 एवं 04.08.2015 तक ग्वालियर व अहमदाबाद में बार बार बलात्संग कारित किया?
9.	क्या आरोपी शिवकुमार, कदम एवं रामबीर ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ संभोग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?
10.	क्या उक्त आरोपीगण पर अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बार बार संभोग कर गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?
11.	क्या आरोपी सरस्वती, रवि एवं गुड्डीबाई ने उक्त दिनांकों पर सहआरोपी कदमसिंह, रामबीर, विजय, शिवकुमार को अवयस्क अभियोक्त्री के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला एवं गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?
12.	दण्डादेश यदि कोई हो तो?

॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

07. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्त्री के घर से जाने के एक दिन पश्चात् अभियोक्त्री की माँ के द्वारा लेख कराई गई है। प्रकरण में अभियोक्त्री घटना दिनांक 21.03.2015 के पश्चात् दिनांक 04.08.2015 को लगभग घटना के 4 माह पश्चात् ऐमोजेक सेरेमिक लिमिटेड के सामने आम रोड वाले मंदिर से दस्तयाव की गई है। तत्पश्चात् विवेचनाधिकारी द्वारा अभियोक्त्री "आर" के दिनांक 06.08.2015 को धारा 161 सी.आर.पी.सी. के कथन अभिलिखित किए गए हैं, तत्पश्चात् दिनांक

06.08.2015 को ही अभियोक्त्री "आर" के धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष कथन अभिलिखित किए गए हैं।

08. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री के अवयस्क होने के आधार लिए गए हैं और आरोपीगण पर आरोपित अधिकांश आरोप अभियोक्त्री के घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु के होने के संबंध में है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु क्या थी।

09. घटना के समय साक्षी रामनिवास अ0सा0 1 ने अपनी पुत्री अभियोक्त्री की आयु साढ़े पन्द्रह वर्ष होने संबंधी कथन किये हैं। अभियोजन का आधार भी यही है कि घटना के समय अभियोक्त्री 16 वर्ष की पूर्ण नहीं हुई थी।

10. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विचारणीय अपराधों में यदि अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की दर्शित की जाती है तब उस दशा में अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाए इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत **जर्नेलसिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य, 2013(7) एस.सी.सी. 263** में यह अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में अभियोक्त्री की आयु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार निर्धारित की जाना चाहिए। नियम 12 के अनुसार आयु के संबंध में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, उसके उपलब्ध ना होने पर जहां बालक पहली बार स्कूल गया, उस स्कूल के जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर, तत्पश्चात जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर आयु निर्धारित की जाना चाहिए, संबंधी प्रावधान हैं।

11. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि सर्वप्रथम अभियोक्त्री की मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल की अंकसूची में जन्मतिथि देखी जाएगी और यदि वह उपलब्ध नहीं होता है तो न्यायालय आगामी उपबंधों पर विचार करेगी।

12. प्रकरण में अभियोक्त्री के घटना के समय 10वीं में पढ़ने के आधार लिए गए हैं। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री की आयु के संबंध में साक्षी व्ही.एस. अनंत अ0सा0 8 का परीक्षण कराया गया है, जिसका अपने कथनों में कहना रहा है कि उनके विद्यालय में अभियोक्त्री कक्षा 9वीं में एडमीनशन कराया गया था और भर्ती रजिस्टर के अनुसार अभियोक्त्री का सरल क्रमांक 27 एवं भर्ती क्रमांक 3120 में दाखिला दिया गया था और दाखिले के अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 10.07.1999 दर्ज है। इस संबंध में इस साक्षी द्वारा प्र.पी. 9 का भर्ती रजिस्टर प्रमाणित कराया है एवं इस संबंध में प्र. पी. 10 का प्रमाणपत्र भी जारी किया है।

13. साक्षी व्ही.एस.अनंत अ0सा0 8 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि भर्ती रजिस्टर में जन्म दिनांक किस आधार पर लेख की गई थी इसका उल्लेख नहीं है और उनके विद्यालय में जन्मतिथि टी.सी. के आधार पर लेख की गई थी। अतः साक्षी व्ही.एस. अनंत अ0सा0 8 के कथनों से यह तथ्य दर्शित नहीं होता है कि अभियोक्त्री की आयु किस दस्तावेज के आधार पर लेख की गई थी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि वही इन्द्राज सुसंगत है जो विद्यार्थी कक्षा पहली में प्रथम बार प्रवेश करते समय लेख कराया गया हो, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में विवेचनाधिकारी द्वारा अभियोक्त्री ने प्रथम बार किस विद्यालय में प्रवेश लिया, वहाँ क्या जन्मतिथि लेख कराई इस संबंध में कोई दस्तावेज जप्त नहीं किए हैं।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विवेचनाधिकारी को कि अभियोक्त्री की आयु किस प्रकार प्रमाणित की जाएगी संबंधित विधि का विधिवत ज्ञान नहीं है कि इस संबंध में कौन सा दस्तावेज सुसंगत है।

15. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियोक्त्री की आयु विद्यालय में किस दस्तावेज के आधार पर लिखी गई वह दस्तावेज विश्वसनीय था अथवा नहीं। प्रकरण में आयु के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, उसमें स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर

अभियोक्त्री की जन्मतिथि लेख की गई।

16. माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का अपने न्याय दृष्टांत **दीपक विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006 (11) एम.पी.जे. आर. एस.एन. 40** में यह अभिमत रहा है कि विद्यालय पंजी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रविष्टि की गई अन्य किसी प्रकार का अभिलेख नहीं दिखाया गया ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री की आयु सम्यक् रूप से सिद्ध नहीं मानी जा सकती है।

17. अभियोक्त्री की आयु स्थानांतरण प्रमाण पत्र में किस आधार पर लेख की गई है इसका भी कोई उल्लेख प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों के कथनों में नहीं आया है। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **रमेश उर्फ डब्लू विरुद्ध म.प्र. राज्य 2014 (3) एम.पी.जे.आर. 164** में अभिनिर्धारित सिद्धांत की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि स्कूल सर्टिफिकेट में जिन आधारों पर आयु लेख कराई गई इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये ऐसी आयु निश्चायक नहीं है। ऐसी स्थिति में स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर अभियोक्त्री की आयु के संबंध में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **सुधा विरुद्ध चरणसिंह एवं अन्य, 2007 (11) एम.पी.वीकली नोट 118** भी अवलोकनीय है।

18. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अपने न्याय दृष्टांत **आत्माराम विरुद्ध म.प्र.राज्य 2015 (1) एम.पी.जे.आर. (सी.जी) 91** में यह अभिमत रहा है कि स्कूल के रजिस्टर में जो जन्म तिथि लिखाई, उसका कोई स्रोत नहीं है और ऐसी जन्मतिथि कल्पना के आधार पर दर्ज की जाती है, जो विश्वास योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **रघुवीरप्रसाद विरुद्ध म.प्र.राज्य 2015 (2) सी.डी.एच.सी.735 (म.प्र.)** अवलोकनीय है।

19. प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं उनसे निश्चायक रूप से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु

की थी और न ही अभियोजन की ओर से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 में प्रावधानिक निश्चायक प्रकृति का ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है जो अभियोक्त्री के 18 वर्ष से कम आयु के होने संबंधी विश्वास करने का आधार देता हो।

20. अतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन विश्वसनीय रूप से यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की थी।

21. घटना के संबंध में यदि साक्षी सुनीता अ0सा0 3, साक्षी रामनिवास अ0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जावे तो प्रमुख रूप से इन साक्षियों का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना दिनांक को सुनीता को बुखार आ रहा था। अभियोक्त्री आंगन में काम कर रहीं थी, उसी समय पड़ोस में रहने वाली गुड्डीबाई आई और 2000/- रूपए मांगे तो सुनीता ने अभियोक्त्री से कहा कि पैसे बक्से में रखे हैं निकालकर दे दो। अभियोक्त्री ने गुड्डी बाई को पैसे दे दिए फिर गुड्डी बाई अभियोक्त्री के अपने साथ लेकर चली गई और अभियोक्त्री लोटकर नहीं आई। उसके बाद उन्होंने अभियोक्त्री को ढूंढा। दोनों साक्षियों का कहना रहा है कि वह अभियोक्त्री को ढूंढ रहे थे और वह जब गुड्डीबाई के घर तरफ जा रहे थे उन्होंने देखा कि रायतपुरा के प्लेटफार्म पर रवि, सरस्वती और गुड्डी तीनों अभियोक्त्री को ट्रेन में बिठाल रहे थे और सब लोगों ने हाथ से सहारा दे रखा था। जबतक वह चिल्लाए ट्रेन निकल गई थी। फिर उन्होंने अभियोक्त्री को ढूंढा था वह नहीं मिली थी। इसी आशय के कथन धर्मवीर अ0सा0 5 के रहे हैं। तत्पश्चात् सुनीता द्वारा थाना एण्डोरी पर दिनांक 22.03.2015 को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस तथ्य की पुष्टि साक्षी दलेलसिंह यादव अ0सा0 6 के द्वारा की गई है।

22. घटना किस प्रकार घटित हुई, इस संबंध में यदि अभियोक्त्री 'आर' अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का भी अपने कथनों में यही कहना रहा है कि घटना के समय गुड्डीबाई ने आकर रूपए मांगे और उसने अपनी माँ से पूछा तो उसने माँ के कहने पर गुड्डी बाई को 2000/- रूपए बक्से से निकालकर दे दिए थे। उसके बाद गुड्डीबाई, रवि और सरस्वती उसे पकड़कर रेल्वेस्टेशन ले गए और चलती ट्रेन में बिठाल दिया और जिस डिब्बे में बिठाया उसमें आरोपी विजय जाटव पहले से बैठा हुआ था। अभियोक्त्री का यह भी कहना रहा है कि जब तीनों ने उसे चढ़ाया तो

आरोपी विजय ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया था और उसने उतरने की कोशिश की तब तक ट्रेन छूट चुकी थी।

23. अभियोक्त्री 'आर' अ0सा0 2 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि दिसम्बर, 2014 के समय गुड्डीबाई घर पैसे मांगने आई थी तो उसने मना कर दिया था फिर उसने अपनी माँ के कहने पर पैसे निकालकर दे दिए थे। उसी समय गुड्डीबाई हाथ पकड़कर अपने घर ले गई, जहाँ रवि और सरस्वती मौजूद थे, तीनों ने उससे कहा कि ट्रेन का टाइम हो रहा है, किन्तु अभियोक्त्री ने जाने से मना कर दिया था और वह गुड्डी बाई के घर से अपने घर भाग आई थी।

24. अभियोक्त्री 'आर' अ0सा0 2 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि 10 दिसम्बर, 2014 को गुड्डी बाई के पति कदमसिंह ने कमरे में बंद कर के उसके साथ बलात्कार किया था जिसकी गुड्डीबाई ने रिकार्डिंग कर ली थी। घटना के बाद वह रोती रही, किन्तु गुड्डीबाई धमकी देती थी कि वीडियो रिकार्डिंग को फेला दूंगी, अब तेरी बीडियो रिकार्डिंग बन गई है और गुड्डी बाई ने दो तीन थप्पड़ मार दिए थे और उसे घर से भगा दिया था। साक्षी का आगे यह भी कहना रहा है कि दो दिन बाद गुड्डी बाई उसके घर आकर धमकी देकर अपने घर ले गई और जब वह घर पहुँची तो गुड्डीबाई का पति रामबीर था, गुड्डीबाई ने रामबीर के साथ कमरे में बंद कर दिया और रामबीर ने उसके साथ गलत काम किया था।

25. बचाव पक्षगण की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिए गए हैं कि फरियादी पक्ष के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल विजय का नाम लिखाया गया है। फरियादी द्वारा पूर्व की घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं की है और अभियोक्त्री घटना दिनांक को वयस्क थी और अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा व सम्मति से आरोपी विजय के साथ गई थी और बाद में परिवार के दबाव में असत्य प्रकरण दर्ज कराया है।

26. घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई यदि इस संबंध में साक्षी रामनिवास अ0सा0 1,

सुनीता अ0सा0 3, धर्मवीर अ0सा0 5 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों का अपने न्यायालयीन कथनों में यह कहना रहा है कि गुड्डीबाई अभियोक्त्री 'आर' को घर से ले गई थी और जब उन्होंने देखा तो रायतपुरा स्टेशन पर रवि, गुड्डी, सरस्वती और आरोपी विजय अभियोक्त्री को ट्रेन में चढ़ा रहे थे। अभियोक्त्री को कौन बिठा रहा था, यदि इस संबंध में साक्षियों के कथनों का सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो रामनिवास अ0सा0 1 के इस आशय के कथन रहे हैं कि आरोपी गुड्डी, सरस्वती और रवि अभियोक्त्री को ट्रेन में चढ़ा रहे थे और आरोपी विजय अभियोक्त्री के साथ ट्रेन में चढ़ा था, जबकि यदि सुनीता अ0सा0 3 के कथनों का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि रवि, सरस्वती, गुड्डी तीनों अभियोक्त्री को ट्रेन में चढ़ाने के लिए सहारा दे रहे थे, जबकि साक्षी धर्मवीर अ0सा0 5 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसकी बहन अभियोक्त्री को आरोपी सरस्वती, रवि ट्रेन में चढ़ा रहे थे और आरोपी विजय ट्रेन में था और वह अभियोक्त्री को ट्रेन में खींच रहा था। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि तीनों ही साक्षीगण उक्त आरोपीगण द्वारा अभियोक्त्री को ट्रेन में बिठाने संबंधी कथन करते हैं, किन्तु इन साक्षियों के कथनों में ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपीगण अभियोक्त्री को किसी धमकी, भय, या बल के अधीन वल पूर्वक पकड़कर ले जा रहे थे और अभियोक्त्री उनका विरोध कर रही थी अथवा छूटने का प्रयास कर रही थी।

27. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सा0 3 सुनीता के द्वारा लेख कराई गई है। यदि साक्षी रामनिवास अ0सा0 1, सुनीता अ0सा0 3 एवं धर्मवीर अ0सा0 5 के धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथन एवं सुनीता द्वारा कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 5 का अवलोकन किया जावे तो अभियोक्त्री किस प्रकार घर से गई और किस प्रकार ट्रेन में चढ़ी साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के समान कथन नहीं रहे हैं और न ही अभियोजन का ऐसा मामला है।

28. यह सुस्थापित विधि है कि दं.प्र.सं की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथन एवं दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मूलभूत साक्ष्य नहीं हैं और ऐसे दस्तावेजों का साक्षियों के साक्ष्य का समर्थन या खण्डन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उक्त साक्षियों के न्यायालयीन कथन एवं सुनीता द्वारा

दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की है कि आरोपी गुड्डी उनके घर रूपए लेने आई थी, रूपए लेकर चली गई थी फिर थोड़ी देर बाद अभियोक्त्री नहीं दिखी तो उन्होंने गुड्डी को पूछा तो उसने कहा कि वह अभियोक्त्री को आपके घर ही छोड़ आई थी, तब उन्होंने रेल्वेस्टेशन पर देखा कि ट्रेन आ गई थी उस समय अभियोक्त्री 'आर' और आरोपी विजय ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हुए दिखे और जब तक वह पहुँचे ट्रेन छूट चुकी थी और उक्त साक्षियों के इस आशय के कथन रहे हैं एवं सुनीता द्वारा उक्त आशय की ही रिपोर्ट लिखाई गई थी कि आरोपी विजय अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर, भगाकर ले गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षियों द्वारा अभियोक्त्री किस प्रकार घर से गई, किस व्यक्ति ने उसे ट्रेन में चढ़ाया संबंधी न्यायालयीन कथन अभियोजन कहानी के विपरीत होने एवं बढ़ाकर किए गए कथन होने से विश्वास योग्य नहीं है।

29. अभियोक्त्री 'आर' अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि आरोपी उसे रायतपुरा से विरला नगर स्टेशन ग्वालियर ले गया, जहाँ से आरोपी उसे उताकर पिंटूपार्क ग्वालियर ले गया और उसे दो दिन पिंटूपार्क के कमरे में रखा जहाँ आरोपी ने उसके साथ बुरा काम किया। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि ग्वालियर में दो दिन रखने के बाद आरोपी उसे अहमदाबाद ले गया था और वहाँ पर पप्पू ठेकेदार के यहाँ काम किया, जहाँ पर उसने पप्पू ठेकेदार ने एक कमरा रहने के लिए दिया था, वहाँ पर भी आरोपी ने उसके साथ बुरा काम किया। आरोपी विजय ने उसे अहमदाबाद में चार महीने रखा था, जहाँ आरोपी उसके साथ नशा कर के मारपीट करता था। साक्षी का यह भी कहना रहा है कि अहमदाबाद में आरोपी ताला बंद कर देता था और शाम को आता था तो कहता था कि गुड्डीबाई, सरस्वती और रवि आएं और उसे मार डालेंगे। इसके बाद उसने एक दिन अहमदाबाद से अपनी माँ को फोन लगाया और धमकी के बारे में बताया। फिर एक दिन वह आरोपी विजय के साथ मंदिर गई थी तब वहाँ उसे उसका भाई, पिता तथा पुलिस वाले मिले थे, जिन्होंने पहचान लिया था। फिर उसे पुलिस रायतपुरा ले आई थी। तत्पश्चात् वह एण्डोरी थाने गई थी।

30. यदि प्रकरण का अवलोकन किया जावे तो अभियोक्त्री दिनांक 21.03.2015 को आरोपी विजय के द्वारा ले जाना बताती है, जबकि अभियोक्त्री को दिनांक 06.08.15 को घटना के लगभग चार महीने से अधिक आरोपी के साथ रही है। अभियोक्त्री आरोपी के साथ रायतपुरा से ट्रेन में बैठकर ग्वालियर गई, ग्वालियर में भी आरोपी के साथ एक कमरे में रुके तत्पश्चात् अभियोक्त्री आरोपी के साथ अहमदाबाद में गई जहाँ उसके साथ चार महीने रुकी जहाँ आरोपी ने काम किया। निश्चित रूप से रायतपुरा से ग्वालियर, ग्वालियर से अहमदाबाद जाने में अभियोक्त्री के पास अनेकों अवसर दूसरों से मदद मागने के थे, किन्तु अभियोक्त्री द्वारा किसी व्यक्ति से मदद मांगी हो, किसी व्यक्ति से यह कहा गया हो कि उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, ऐसा अभियोक्त्री का कहना नहीं रहा है। अभियोक्त्री इस आशय के कथन करती है कि उसने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, किन्तु आरोपी विजय ने उसका हाथ खींच लिया, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी जो कि अभियोक्त्री के ट्रेन से जाना बताते हैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं कि अभियोक्त्री ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, बल्कि अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आरोपी विजय और अभियोक्त्री ट्रेन में चढ़े थे। ट्रेन में बैठते समय अभियोक्त्री प्रतिपरीक्षण के दौरान इस आशय के कथन करती है कि वह रोई और चिल्लाई थी साथ ही इस आशय के भी कथन करती है कि उस डब्बे में कोई सवारी नहीं बैठी थी वह डब्बा खाली था।

31. अभियोक्त्री के सम्पूर्ण कथनों का अवलोकन किया जावे तो आरोपी विजय उसे कहाँ मिला, आरोपी उसे किस प्रकार ले गया, साक्षिया के कथन गंभीर तात्त्विक विरोधाभासों से भरे हुए हैं।

32. अभियोक्त्री 'आर' आरोपी विजय के साथ जाने के पूर्व अपने साथ दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को कदमसिंह जो कि गुड्डीबाई का पति बताया गया है के द्वारा बुरा काम करने संबंधी बताया गया है, इसी प्रकार दो दिन पश्चात् अभियोक्त्री के द्वारा गुड्डीबाई के पति बताए गए रामबीर के द्वारा बुरा काम करने संबंधी कथन किए हैं। इसके पूर्व दिसम्बर 2014 में ही गुड्डीबाई द्वारा ट्रेन से जाने संबंधी बात कहने संबंधी कथन किए हैं। अभियोक्त्री के उक्त कथन सत्य और वास्तविक प्रतीत नहीं होते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना कदमसिंह द्वारा एवं रामबीर द्वारा अभियोक्त्री अपने साथ

किया जाना बताती है, यदि उक्त प्रकार की कोई घटना अभियोक्त्री के साथ हुई होती तो वह यह घटना अपने परिजन को अथवा परिचित को अवश्य बताती, किन्तु अभियोक्त्री द्वारा उक्त घटना किसी को बताई हो ऐसा अन्य साक्षियों का कहना नहीं रहा है और न ही इस संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्त्री की ओर से दर्ज कराई गई है।

33. अभियोक्त्री के सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जावे तो अभियोक्त्री की ओर से जो बृतांत बताया गया है वह परिकथा समान प्रतीत होता है। अभियोक्त्री द्वारा घटना के पूर्व अपने साथ जो दो बार बलात्संग होने वाली घटना बताई है वह किसी को नहीं बताई है।

34. अभियोक्त्री जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के साथ गई और अभियुक्त के साथ रही, पर्याप्त अवसर होने के बाद भी उसने भागने का प्रयास नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य अभियोक्त्री को एक सहमत पक्षकार दर्शित करती है कि अभियोक्त्री अपनी स्वयं की इच्छा व सहमति से अभियुक्त विजय के साथ गई।

35. यह सुस्थापित है कि लैंगिक अपराध की अभियोक्त्री को सहअपराधी के समान नहीं माना जा सकता, वह तो वास्तव में अपराध से पीड़ित होती है। साक्ष्य अधिनियम कहीं भी यह अभिकथन नहीं करता कि उसकी साक्ष्य को जब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता तब तक कि उसकी तात्विक विशिष्टियों से संपुष्टि नहीं की जा सकती। संपुष्टि की अपेक्षा "केवल विरल से विरलतम मामलों में ही यदि न्यायालय यह पाता है कि अभियोक्त्री की परिसाक्ष्य इतनी विश्वसनीय, सत्य और विश्वास करने के योग्य नहीं है वहीं संपुष्टि आवश्यक हो जाती है अन्यथा नहीं।"

36. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत राजकुमार वि० मध्यप्रदेश राज्य 2000-किमिनल लॉ जनरल-1986 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत सुरेश एन. भुसारे व अन्य वि० महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर-1998 (एस.सी.)-3131 को अनुसरित करते हुए बलात्संग के मामलों में अभियोक्त्री की विश्वसनीयता के संबंध में महत्वपूर्ण संप्रेक्षण दिया है कि किन परिस्थितियों में अभियोक्त्री की साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा दिया गया संप्रेक्षण अवलोकनीय है :-

“In a Criminal case the guilt of the accused must be established beyond reasonable doubt. The evidence in this case tested on that touchstone falls short of the requisite standard. In the opinion of this Court it is more likely that the accused persons are the victims of black mailing at the hands of the prosecutrix. Improbability is heaped upon improbability in her testimony.”

“Conviction in a rape case depends to a large extent upon the credibility of the prosecutrix. there must be some reassuring guarantee that her version is truthful and fully reliable. Her testimony may be sterling variety and unimpeachable character and in such a case there is no need of corroboration of her testimony and it is in this category of cases that the Supreme Court has held in a catena of cases that corroboration is not a sine qua non for a conviction in a rape case. *Bharwada Bhogin Bhai Harjibhai v. State of Gujrat*, AIR 1983 SC 753 : (1983 Cri.L.J.1096), *State of Maharashtra v. C.K.Jain*, AIR 1990 SC 658 : (1990 Cri.L.J.889), *State of Punjab v. Gurmit Singh*, AIR 1996 SC 1393 : (1996 Cri.L.J.1728), *State of A.P. v. G.S.Murthy*, AIR 1997 SC 1588 : (1997 Cri.L.J.774) and *Ranjit Hazarika v. State of Assam*, (1998) 8 SCC 635. But in case of a grown up prosecutrix whose testimony suffers from basic infirmities and is not fully reliable it can not form the sole basis for conviction. The “Probabilities factor” should not render her testimony as unworthy of credence. Her evidence must inspire confidence and it should be fully reliable to dispense with the necessity of corroboration. Seeking corroboration should not be insisted upon as a rule but there are cases and cases and there can be no straight-jacket formula for every case. It is necessary for the Court to evaluate,

scrutinise and weight the evidence of the prosecutrix in right perspective. The beacon light is furnished by the caveat in Gurmit Singhs case : “Inferences have to be drawn from a given set of facts and circumstances with realistic diversity and not dead uniformity lest that type of rigidity in the shape of rule of law is introduced through a new form of testimonial tyranny making justice a casualty.” The Court must deal rape cases with utmost sensitivity taking every precaution that an innocent person is not punished in a zeal to deal with such cases with a stern hand. The evidence must be appreciated “in the totality of the background of the entire case and not in isolation” (G.S.Murthys case). **There can be no conviction if the circumstances as a whole indicate that no reliance can be placed upon the testimony of the prosecutrix.**

37. साक्षी डॉक्टर विमलेश गौतम अ0सा0 7 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने अभियोक्त्री का परीक्षण किया था। अभियोक्त्री का हायमन पुराना फटा हुआ, अभियोक्त्री ने नहा लिया था एवं कपड़े बदल लिए थे, इसीलिए कपड़े शील्ड नहीं किए थे। अभियोक्त्री के साथ बलात्कार के संबंध में इस साक्षी के द्वारा कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। साक्षी डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 13 के द्वारा आरोपी विजय का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है और परीक्षण में आरोपी विजय को संभोग करने में सक्षम होना पाया है।

38. साक्षी डिम्पल मौर्य अ0सा0 9 के द्वारा अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए हैं। प्रकरण की विवेचना साक्षी एम.एल.डोंगर अ0सा0 10 एवं बालमीकी चौबे अ0सा0 12 के द्वारा की गई है।

39. अभियोजन की ओर से साक्षी गीताबाई अ0सा0 11 का परीक्षण कराया गया है, किन्तु इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

40. प्रकरण में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही है और अभियोक्त्री जिन परिस्थितियों में आरोपी विजय के साथ जाने संबंधी कथन करती है, उससे एकमेव यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी और सहमति से आरोपी के साथ गई थी।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत राजेश पटेल विरुद्ध झारखण्ड राज्य 2013(3) सी.सी.एस.सी. 1458(एस.सी.) में बलात्संग के मामले में सम्मति के संबंध में उपधारणा किस प्रकार की जा सकेगी, इस संबंध में अपने पूर्व न्याय दृष्टांत राजू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2008(5) एस.सी.सी. 133 को उद्धृत किया है, जो अवलोकनीय हैं :-

"Reference has been made in Gurmit Singh case to the amendments in 1983 to Sections 375 and 376 of the Penal Code making the penal provisions relating to rape more stringent, and also to Section 114A of the Evidence Act with respect to a presumption to be raised with regard to allegations of consensual sex in a case of alleged rape. It is however significant that Sections 113A and 113B too were inserted in the Evidence Act by the same amendment by which certain presumptions in cases of abetment of suicide and dowry death have been raised against the accused. These two sections, thus, raise a clear presumption in favour of the prosecution but no similar presumption with respect to rape is visualized as the presumption under Section 114A is extremely restricted in its applicability. This clearly shows that insofar as allegations of rape are concerned, the evidence of a prosecutrix must be examined as that of an injured witness whose presence at the spot is probable but it can never be presumed that her statement should, without exception, be taken as the gospel truth. Additionally, her statement can, at best, be adjudged on the principle that ordinarily no injured witness would tell a lie or implicate a person falsely. We believe that it is that this case, and others such as this one, need to be examined." under these principles that this case, and others such as this one, need to be examined."

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपने न्याय दृष्टांत दीपक गुलाटी विरुद्ध हरियाणा राज्य 2013(4) सी.सी.एस.सी. 2193 (सु.को.) में यह सम्प्रेक्षण दिया है कि सम्मति हो सकता है अभिव्यक्त या विवक्षित, प्रपीड़ित या अपदेशित, स्वेच्छा से या प्रवंचना के माध्यम से अभिप्राप्त की जाये। सम्मति एक कारण का कार्य है, जो जान बूझकर, मानसिक मूल्यांकन से प्रत्येक पक्ष की अच्छाई एवं बुराई के साथ संतुलन के रूप में होता है। बलात्संग एवं सम्मति सूचक मैथुन के बीच स्पष्ट अंतर है और इस तरह के मामले में, न्यायालय को अत्यधिक सावधानी से यह परीक्षा करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त वास्तव में पीड़िता से विवाह करना चाहता था या उसके दुर्भावनापूर्ण हेतुक थे और केवल अपनी कामुकता की तुष्टि करने के लिए ही इस प्रभाव का मिथ्या वचन दिया था, क्योंकि पश्चातवर्ती तो छल या प्रवंचना के अन्तर्गत आता है। केवल वचन भंग और मिथ्या वचन को पुरा न करने के बीच अंतर है। इस प्रकार, न्यायालय को यह परीक्षा करनी चाहिये कि क्या प्रारंभिक प्रक्रम पर अभियुक्त द्वारा पूर्व प्रक्रम पर विवाह करने का मिथ्या वचन दिया गया था और क्या उसमें अन्तर्ग्रस्त सम्मति सम्पूर्ण रूप से लैंगिक आसक्ति की प्रकृति और परिणामों को समझने के पश्चात दी गयी थी। ऐसा मामला हो सकेगा, जहाँ अभियोक्त्री अभियुक्त के लिए अपने प्रेम और धैर्य के कारण मैथुन कराने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उसके द्वारा किए गए दुर्यपदेशन के कारण या जहाँ कोई अभियुक्त ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिनकी वह प्रत्याशा भी नहीं कर सका था, या जो उसके नियंत्रण से परे थी, विवाह करने का प्रत्येक आशय रखने के बावजूद उसके साथ ऐसा करने में असमर्थ था।

43. प्रकरण में अभियोक्त्री का ऐसा कहना नहीं रहा है कि आरोपी विजय ने उसके साथ विवाह करने के आश्वासन पर संभोग किया। आरोपी विजय ने उसके साथ गलत काम किया इस आशय के कथन रहे हैं, किन्तु आरोपी ने उसे कोई धमकी दी हो या किसी भय के अधीन रहा हो अभियोक्त्री का ऐसा भी कहना नहीं रहा है। अभियोक्त्री आरोपी द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी जाने के कुछ दिन बाद अहमदाबाद में आरोपी विजय द्वारा देने संबंधी कथन करती है, किन्तु उसके पूर्व अभियोक्त्री के साथ आरोपी विजय द्वारा किसी प्रकार का कोई वल प्रयोग किया

गया हो ऐसा अभियोक्त्री का कहना नहीं रहा है।

44. अभियोक्त्री के कथनों में जिस प्रकार के विरोधाभास, भिन्नता है उससे अभियोक्त्री के कथनों का सम्पूर्ण अवलोकन किया जावे और निष्कर्ष निकाला जावे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोक्त्री अभियुक्त विजय के साथ स्वयं की इच्छा से गई और उसके साथ रही और अपनी सहमति व इच्छा से उसके साथ संभोग किया।

45. भा.द.वि की धारा 375 यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि यदि कोई संभोग उस स्त्री की इच्छा व सम्मति से किया जावे जहाँ कि महिला वयस्क है तो ऐसा कृत्य बलात्संग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

46. प्रश्नगत प्रकरण में अभियोक्त्री एवं अभियोजन की साक्ष्य गंभीर संदेह, अविश्वसनीयता एवं अभियोजन कथानक के विपरीत होने से पूर्ण रूप से अविश्वसनीय साक्ष्य के अंतर्गत आती है।

47. दांडिक विधि शास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को प्रत्येक अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण रूप से "अभियोजन कहानी सच हो सकती है" और "सच होनी ही चाहिए" के बीच अनिवार्य रूप से लम्बी दूरी है और अभियोजन को इसे अनअधिक्षेपणीय एवं विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित किया ही जाना होगा, किन्तु अभियोजन प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है।

48. अतः अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित कृत्य प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

49. परिणामतः आरोपी सरस्वती, रवि, गुड्डी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366क, 376(2)(आई) सहपठित धारा 120बी एवं लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम

2012 की धारा 17 के अपराध से एवं आरोपी रामबीर, कमदमसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(आई) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4, 5/6 के अपराध से एवं शेष आरोपी शिवकुमार व विजय को भारतीय दण्ड विधान की धारा 363, 366क, 376(2)(आई) एवं 376(2)(एन) व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4, 5/6 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

50. आरोपी विजय, रामबीर एवं कदमसिंह अभिरक्षा में है, अतः उनकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो तुरन्त रिहा किया जावे तथा शेष आरोपी जमानत पर है उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

51. आरोपीगण के निरोध में रहने के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

52. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

53. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजी जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)